

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में राजस्व एवं सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र (सा.क्षे.उ.) से संबंधित दो अध्याय हैं जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। राजस्व क्षेत्र से संबंधित अध्याय I में अवनिर्धारण, राजस्व के कम भुगतान/घाटा, ब्याज एवं जुर्माने पर आठ पैराग्राफ हैं, जिसमें ₹ 705.58 करोड़ की धनराशि शामिल है और अध्याय II जो सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सा.क्षे.उ.) से संबंधित है, जिसमें ₹ 458.56 करोड़ की एक निष्पादन लेखापरीक्षा और दो पैराग्राफ, शामिल हैं। कुछ प्रमुख निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

अध्याय-I: राजस्व क्षेत्र

सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2016-17 में ₹ 34,345.74 करोड़ की तुलना में वर्ष 2017-18 में ₹ 38,667.27 करोड़ हुई। इसमें से 94 प्रतिशत कर राजस्व (₹ 35,717.02 करोड़) और गैर-कर राजस्व (₹ 766.06 करोड़) से प्राप्त हुआ। शेष छः प्रतिशत भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में (₹ 2,184.19 करोड़) प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष की तुलना में कर राजस्व में 14.70 प्रतिशत वृद्धि तथा गैर-कर राजस्व में 101.23 प्रतिशत वृद्धि हुई।

(पैराग्राफ 1.1.1)

वर्ष 2017-18 के दौरान व्यापार एवं कर, राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन तथा राजस्व विभाग की 70 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई जिसमें 500 मामलों में शामिल ₹ 1,701.14 करोड़ का अवनिर्धारण/कर का कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला। वर्ष के दौरान, संबंधित विभागों ने ₹ 390.39 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया।

(पैराग्राफ 1.1.9.1)

लेखापरीक्षा के कहने पर, वर्ष के दौरान, व्यापार एवं कर विभाग ने ₹ 26.05 लाख की राशि वसूल की। इस राशि में तीन व्यापारियों के संबंध में ₹ 19.49 लाख की वसूली शामिल है, जिन्होंने प्रणाली के 'री-कन्सीलेशन' माड्यूल में पहले से भुगतान किए गए नियमित कर के साथ गलत तरीके से ₹ 15.08 लाख की अपनी अतिरिक्त माँग का मिलान किया। यह व्यापारियों द्वारा भुगतान की गई राशि के रूप में दर्शाई राशियों तथा बैंकों से प्राप्त वास्तविक राशियों के साथ मिलान में विभाग द्वारा निगरानी की कमी को दर्शाता है। हालांकि विभाग ने इस मामले में प्रणाली की खामी बताते हुए लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद ₹ 19.49 लाख की पूरी राशि वसूल

कर ली फिर भी विभाग द्वारा इस खामी की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 1.1.9.2)

व्यापार एवं कर विभाग

वस्तु एवं सेवा कर में परिवर्तन की तैयारी

जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए संरक्षित राजस्व ₹ 16,359.36 करोड़ था हालांकि वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत वास्तविक कर प्राप्त ₹ 16,019.35 करोड़ हुई। विभाग ने प्रतिपूर्ति राशि ₹ 340.01 करोड़ के प्रति ₹ 326.00 करोड़ प्राप्त किए।

(पैराग्राफ 1.2.3)

जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान, 70 प्रतिशत से 98 प्रतिशत करदाताओं द्वारा अपने रिटर्न फाईल किये गए थे। लेखापरीक्षा का विचार है कि करदाताओं द्वारा शीघ्रता से लंबित रिटर्न फाईल करने को सुनिश्चित करने के लिए विभाग को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 1.2.7.2)

चार करदाताओं ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत ट्रान-1 में ₹ 8.85 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था। हालांकि यह पाया गया कि डीवैट अधिनियम के अन्तर्गत उनकी फाईल की गई विवरणों के अनुसार, केवल ₹ 0.16 करोड़ का क्रेडिट उपलब्ध था। पांच करदाताओं ने ₹ 19.44 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था। हालांकि, मूल्य वर्धित कर व्यवस्था के दौरान संबंधित विक्रय व्यापारियों द्वारा की गई विक्रय राशि की तुलना से इन करदाताओं द्वारा किए गए क्रय में मिलान नहीं हो रहा था।

(पैराग्राफ 1.2.7.4)

इनपुट टैक्स क्रेडिट

₹ 21.03 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट आधिक्य को आगे ले जाने के 130 मामले थे तथा 37 मामलों में ₹ 18.82 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा था जहाँ सम्बन्धित कर अवधि में विक्रय व्यापारियों को व्यापार एवं कर विभाग में पंजीकृत नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 1.3.3 तथा 1.3.4(i))

क्रय बढ़ने के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट के अधिक दावे के मामले, उन व्यापारियों से क्रय के प्रति इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा, जिनके द्वारा कोई समतुल्य विक्रय नहीं दर्शाया गया तथा उन व्यापारियों जिन्होंने कोई रिटर्न फाईल नहीं किया, क्रय के प्रति इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे के मामले भी देखे गए।

(पैराग्राफ 1.3.4(iii))

वैट में आपत्ति और अपील के मामले

दायर किए गए और निपटाये गये आपत्ति के मामलों का डाटा 2014-15 से 2016-17 के दौरान प्रत्येक बीते वर्ष के साथ निपटान की आवश्यकता वाले मामलों की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। 31 मार्च 2015 को लंबित 31,726 निपटान मामलों से, 31 मार्च 2017 को मामलों का बकाया 40,120 तक बढ़ गया है, लंबित अधिनिर्णय की मांग राशि ₹ 4,944 करोड़ से ₹ 10,194 करोड़ बढ़ गई। जहाँ व्यापारियों द्वारा की जाने वाली अपील के मामलों में कमी की प्रवृत्ति थी, क्योंकि बकाया 31 मार्च 2015 को 2,695 मामलों से 31 मार्च 2017 को 2,370 मामलों तक कम हो गयी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आपत्ति सुनवाई प्राधिकरण द्वारा आपत्ति के मामले निर्धारण प्राधिकारियों को वापस भेजे गए, हालांकि, डीवैट अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वापस भेजे गए मामलों में निगरानी प्रणाली का अभाव था, क्योंकि या तो निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा पुनःनिर्धारण नहीं किया गया या पुनःनिर्धारित मांग की राशि वसूली के लिए बकाया रही थी। व्यापारियों द्वारा आपत्ति फाईल करने में लंबे समय के विलम्ब के कई मामले थे, जिनके लिए लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों में स्वीकृति के लिए न्यायसंगत और उन विलम्बों की माफी उपलब्ध नहीं थी। 2014-15 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान व्यापारियों द्वारा फाईल किये गये आपत्ति के मामलों को एक वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए निर्णीत नहीं किया गया था। आपत्ति सुनवाई प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा विभाग के पक्ष में निर्णीत किये गये आपत्ति और अपील के मामलों पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व की गैर-वसूली हुई।

(पैराग्राफ 1.4)

निर्धारण अधिकारी द्वारा रियायती कर के लिए निर्धारितियों की पात्रता को सुनिश्चित करने में असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.19 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 1.20 करोड़ का ब्याज तथा ₹ 2.19 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

(पैराग्राफ 1.5)

डीवैट-16 रिटर्न में छूट बिक्री के रूप में ₹ 4.94 करोड़ की कर योग्य बिक्री के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 61.74 लाख के कर की गैर प्राप्ति हुई। इसके अलावा ₹ 38.09 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहणीय था।

(पैराग्राफ 1.6)

विभाग उन निर्धारितियों से ₹ 13.15 करोड़ की मांग वसूलने में विफल रहा, जिनके पंजीकरण रद्द कर दिये गये थे।

(पैराग्राफ 1.7)

डीवैट-16 रिटर्न में छूट बिक्री के रूप में ₹ 4.73 करोड़ की कर योग्य बिक्री के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 59.12 लाख के कर की गैर प्राप्ति हुई। इसके अलावा ₹ 39.20 लाख का ब्याज और ₹ 59.12 लाख का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

(पैराग्राफ 1.8)

₹ 71.68 लाख की अतिरिक्त मांग पर ब्याज लगाने के लिए निर्धारण प्राधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 49.05 लाख के ब्याज की गैर-उगाही हुई।

(पैराग्राफ 1.9)

अध्याय-II: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.)

31 मार्च 2018 तक, 18 सा.क्षे.उ. थे जिनमें 16 सरकारी कंपनियां तथा दो सांविधिक निगम शामिल थे। कार्यशील सा.क्षे.उ. ने 30 सितंबर 2018 तक अपने नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार ₹ 8,119.06 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2017-18 (₹ 6,86,017 करोड़) के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 1.18 प्रतिशत था। कार्यशील सा.क्षे.उ. ने अपने नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार ₹ 2,909.83 करोड़ की हानि दर्ज की। मार्च 2018 तक, राज्य सा.क्षे.उ. ने 0.31 लाख कर्मचारियों को नियोजित किया था।

(पैरा 2.1.1.2)

31 मार्च 2018 तक, पाँच विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (इक्विटी एवं दीर्घकालिक ऋण) ₹ 12,740.46 करोड़ था। निवेश में 58.92 प्रतिशत इक्विटी एवं 41.08 प्रतिशत दीर्घकालिक ऋण शामिल थे।

(पैरा 2.1.2.4)

इन सा.क्षे.उ. द्वारा अर्जित लाभ, 2013-14 में ₹ 758.96 करोड़ के प्रति 2017-18 में ₹ 879.63 करोड़ था। उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार, इन पाँच सा.क्षे.उ. में से चार सा.क्षे.उ. ने लाभ अर्जित किया एवं एक सा.क्षे.उ. को सीमांत हानि हुई। शीर्ष लाभ अर्जित करने वाली कंपनियाँ दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (₹ 627.18 करोड़) एवं प्रगति पावर कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 211.37 करोड़) थीं।

(पैरा 2.1.2.9)

पाँच पाँवर क्षेत्र उपक्रमों की कुल संचित हानि ₹ 7,506.79 करोड़ के पूँजीगत निवेश के सापेक्ष ₹ 157.28 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.32 करोड़ के आस्थगित राजस्व व्यय को घटाने के बाद ₹ 7,349.19 करोड़ का निवल मूल्य था। पाँच पाँवर क्षेत्र उपक्रमों में से, दिल्ली पाँवर कंपनी लिमिटेड (- ₹ 779.11 करोड़) में निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था।

(पैरा 2.1.2.13)

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, पाँच पाँवर क्षेत्र उपक्रमों की टर्नओवर ने 2.81 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की तथा ऋण में चक्रवृद्धि वार्षिक कमी 6.97 प्रतिशत थी जिसके कारण ऋण-टर्नओवर अनुपात में 2013-14 में 1.87 से सुधार होकर 2017-18 में 1.25 हो गया।

(पैरा 2.1.2.19)

31 मार्च 2018 को, इन 13 राज्य सा.क्षे.उ. (पाँवर क्षेत्र के अलावा) में कुल निवेश (इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋण) ₹ 14,143.21 करोड़ था। इक्विटी में निवेश 16.56 प्रतिशत था तथा दीर्घावधि ऋणों में 83.44 प्रतिशत था। राज्य सरकार द्वारा दिये गए दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 99.75 प्रतिशत (₹ 11,772.20 करोड़) थे जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 0.25 प्रतिशत (₹ 29.04 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किया गया था।

(पैरा 2.1.3.4)

31 मार्च 2018 को सभी 13 सा.क्षे.उ. (पाँवर क्षेत्र के अलावा) में 11 सरकारी कंपनियां तथा दो सांविधिक निगम नि.म.ले.प. के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत थे।

(पैरा 2.1.3.8)

13 सा.क्षे.उ. (पाँवर क्षेत्र के अलावा) ने 2013-14 से 2017-18 की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान समग्र हानियाँ उठायीं। दिल्ली परिवहन निगम द्वारा निगम के अपने नवीन अंतिम लेखों के अनुसार ₹ 3,843.62 करोड़ की भारी हानियाँ उठायीं गईं। वर्ष 2017-18 के नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार, 13 सा.क्षे.उ. में से, पाँच सा.क्षे.उ. ने ₹ 70.32 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा चार सा.क्षे.उ. ने ₹ 3,859.78 करोड़ की हानि उठायीं एवं चार सा.क्षे.उ. ने सीमांत लाभ एवं हानि उठायीं।

(पैरा 2.1.3.12)

पिछले पाँच वर्षों के दौरान 13 सा.क्षे.उ. (पाँवर क्षेत्र के अलावा) के टर्नओवर में 4.18 प्रतिशत की संयोजित वार्षिक गिरावट दर्ज की गई तथा ऋणों की संयोजित वृद्धि 0.03 प्रतिशत थी, जिसके कारण ऋण टर्नओवर अनुपात 2013-14 में 2.52 से घटकर 2017-18 में 2.99 हो गया।

(पैरा 2.1.3.23)

परिवहन विभाग

2013-14 से 2017-18 की अवधि को कवर करते हुये दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा, मौजूदा आईएसबीटी के अद्यतन तथा नये आईएसबीटी के उन्नयन के परियोजनाओं की धीमी प्रगति को दर्शाती है। इसके अलावा, बस क्यू शैल्टरों के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद भी पांच साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड किसी भी नए बीक्यूएस का निर्माण नहीं कर सका। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं:

समय पर कार्य करने का स्थान उपलब्ध कराने में दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की विफलता के कारण आईएसबीटी कश्मीरी गेट का उन्नयन कार्य निर्धारित समाप्ति तिथि के आठ वर्षों से अधिक के बीत जाने के पश्चात भी पूरा नहीं किया जा सका था जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार तथा डीआईएमटीएस द्वारा ₹ 113.80 करोड़ का दावा किया गया।

(पैरा 2.2.2.1 (क) (क))

दिल्ली के उत्तर तथा दक्षिण-पश्चिम प्रवेश स्थानों पर आईएसबीटी की स्थापना करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के 20 वर्ष से अधिक बीत जाने के पश्चात भी द्वारका तथा नरेला में आईएसबीटी स्थापित नहीं की जा सकी। इन दो आईएसबीटी की स्थापना करके रा.रा.क्षे.दि.स. में वायु प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से आने वाली 516 तथा 1243 अंतर्राज्यीय डीजल से चलने वाली बसों का क्रमशः सराय काले खाँ और कश्मीरी गेट से/ तक चलना जारी है।

(पैरा 2.2.2.1 (क)(ग))

नरेला आईएसबीटी के मामले में, डीडीए को ₹ 10.30 करोड़ का भुगतान करने के पश्चात आईएसबीटी की स्थापना के लिए भूमि को 11 वर्षों के बीत जाने के बाद भी अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

(पैरा 2.2.2.1 (क)(ग)(ii))

दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड 1397 बीक्यूएस के विकास के लिए 2013 से उपयुक्त रियायतग्राहियों का पता लगाने में विफल रहा। किसी वैकल्पिक निधीयन पद्धतियों पर विचार नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप किसी नये बीक्यूएस का निर्माण पिछले पाँच वर्षों में नहीं किया गया है।

(पैरा 2.2.2.2 (क))

दिल्ली परिवहन अवसरंचना विकास निगम लिमिटेड ने आईटीआर फाईल करने में चूक/विलंब तथा अग्रिम कर के भुगतान में चूक/स्थगन के कारण ₹ 2.76 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान किया।

(पैरा 2.2.3.1)

दिल्ली परिवहन अवसरंचना विकास निगम लिमिटेड ने रा.रा.क्षे.दि.स. को ₹ 25.55 करोड़ का कम भुगतान किया।

(पैरा 2.2.3.2)

दिल्ली परिवहन अवसरंचना विकास निगम लिमिटेड समावेशन के आठ वर्षों के पश्चात भी अपने भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने में विफल रहा। भर्ती नियमों के अभाव में, यह इंजीनियरिंग और गैर-इंजीनियरिंग संवर्गों में नियमित स्टॉफ की नियुक्ति नहीं कर रहा था तथा परिवहन विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. प्रतिनियुक्ति आधार पर स्टॉफ का प्रबंध कर रहा था जिससे संगठन में सेवा की निरंतरता में कमी आई।

(पैरा 2.2.4.1)

पर्यटन विभाग

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड

दिल्ली परिवहन अवसरंचना विकास निगम लिमिटेड के नई दिल्ली नगर निगम (भू स्वामी एजेंसी) की सहमति प्राप्त किए बिना कॉफी होम के संचालन के लिए एक फर्म के साथ समझौता करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण ₹ 3.05 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(पैरा 2.3)

दिल्ली परिवहन अवसरंचना विकास निगम लिमिटेड के केंद्रीय सतर्कता आयोग दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए कार्य सौंपे जाने के पश्चात निविदा शर्तों से विचलित होने के परिणामस्वरूप ₹ 0.68 करोड़ के रियायत शुल्क की हानि हुई और संचालक को अनुचित लाभ हुआ।

(पैरा 2.4)